बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– मु०अ०(नि०) मु०से०यो०–529/2025 5561 /पटना, दिनांक– 03/10/2025

प्रेषक,

संजय कुमार, भा० प्र० से०
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– **मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, उप शीर्ष–0122, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0122–53–01–V के अन्तर्गत बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार, सहरसा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, बगहा–1, मनिहारी, सहरसा, पूर्णियाँ एवं फारबिसगंज में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल सात (07) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, उप शीर्ष–0122, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0122–53–01–V के अन्तर्गत बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार, सहरसा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, बगहा–1, मनिहारी, सहरसा, पूर्णियाँ एवं फारबिसगंज में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल सात (07) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई **492.240** मी० एवं कुल राशि **4988.806** लाख (उनचास करोड़ अट्ठासी लाख अस्सी हजार छः सौ रुपया मात्र) है–हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट–1

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी० में)	निर्माण कार्य की राशि (लाख रु० में)	अनुरक्षण मद की राशि (लाख रु० में)	कंटिजेंसी की राशि (लाख रु० में)	प्रशासनिक मद की राशि (लाख रु० में)	भूमि अधिग्रहण की राशि (लाख रु० में)	कुल राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Motihari	Sugauli	Dharampur Bhawanipur path main Jarjar Loha Pul ke Sthan par pul nirman karya	58.080	491.491	3.090	4.914	11.059	0.000	510.554
2	Bagaha-1	Bagaha-2	Binbaliya se Bodsar panchayat ke Narayangadh me pul nirman	58.080	543.890	4.540	5.438	12.238	0.000	566.106
3	Manihari	Pranpur	Construction of RCC Bridge at Imli tola to Pokher tola	68.480	700.130	12.250	7.000	15.750	0.000	735.130
4	Saharsa	Saurbazar	Kanp se Ramnagra path me Shitalpatti Dhar par RCC bridge	89.480	847.655	5.448	8.478	19.072	0.000	880.653
5	Purnea	Banmankhi	Construction of bridge on Pakki road se Radhanagar Ram tola road at chainge per pul Khuthari Dhar 2.50 km	81.160	704.560	5.190	7.050	15.850	0.000	732.650
6	Forbisganj	Bhargama	Purva Mukhiya Swargiya Puran Mishra Barmotra ke ghar ke samne Biloniya Nadi par pul nirman karya	85.590	924.277	5.479	9.243	20.795	0.000	959.794
7	Forbisganj	Bhargama	Raghunathpur Uttar Panchayat me Jaynagar Ram tola Aewam Gajvi path me Yadav tola Sheikhpura ke pas Lachra Nadi main Uchh Stariye pul nirman karya	51.370	581.183	3.848	5.812	13.076	0.000	603.919
			कुल	**492.240**	**4793.186**	**39.845**	**47.935**	**107.840**	**0.000**	**4988.806**

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
4. इन योजनाओं का व्यय मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, विपत्र कोड–37–4515–00–103– 0122–53–01–V के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0122–53–01–V क अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध की **राशि 600 करोड़ रुपये एवं प्रथम अनुपुरक की राशि 5.00 करोड़ अर्थात् कुल 605.00 करोड़ रूपये बजटीय उपबंध** प्राप्त है तथा इसी वित्तीय वर्ष में लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 05.05.2025 को इस योजना हेतु कुल **3200** करोड़ रुपये का अतिरिक्त बी०ओ०एस० प्राप्त हैं तथा पूर्व से सृजित दायित्व की राशि **4645.319** करोड़ रूपया है। अतः इस योजनान्तर्गत स्वीकृति करने हेतु **359.681** करोड़ रुपया की राशि उपलब्ध हैं।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के संबंधित अधीक्षण अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०से० यो०–529/2025 के पृष्ठ संख्या–13/टि० पर प्राप्त है।
10. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)मु०से० यो०–529/2025 के पृष्ठ संख्या– 18/टि० पर दिनांक 26.09.25 को प्राप्त है।
11. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

16. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या—12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

17. संबंधित कार्यपालक अभियंता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर STA के Technical Vetting के उपरांत ही उच्च स्तरीय पुलों की प्रावैधिक स्वीकृति कराना सुनिश्चित करेंगें।

18. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।

19. इन योजनाओं हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या—12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

3/10/25

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— मु०अ०(नि०) मु०से०यो०—529 5561 /पटना, दिनांक— 03/10/2025

प्रतिलिपिः—महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— मु०अ०(नि०) मु०से०यो०—529 5561 /पटना, दिनांक— 03/10/2025

प्रतिलिपिः— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— मु०अ०(नि०) मु०से०यो०—529 5561 /पटना, दिनांक— 03/10/2025

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय—व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/25

संयुक्त सचिव